न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बाबूराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी जसवंतनगर (नागडी) तहसील खींवसर जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 02.12.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 61/2023 सरकार बनाम बाबूराम में निर्णय दिनांक 18.03.2024 के तहत मौजा जसवंतनगर की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 29.04.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 61/23 की पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व जवाब के तथ्यों पर गंभीरता से विचार किये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत जाकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– काश्तकार की खातेदारी का खेत होगा तो ही उसे रहवासीय ढाणी व बाडे का निर्माण करेगा और इस प्रयोजन से ही राज्य सरकार ने खत के पास सरकारी भूमि पर बनी ढाणी व बाडे के संबंध में नियमन करने का आदेश पारित कर किया है। किसी व्यक्ति को इस आधार पर उक्त आदेशों के आधार पर मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि, उसका कोई पुत्र सरकारी कर्मचारी है अथवा वह अपने खेत में ढाणी बना सकता है। मगर न्यायालय हाजा ने उक्त परिपत्र की मंशा के विपरीत जाकर अपीलांट के हक में ढाणी व बाडे के लिये निःशुल्क या कीमत लेकर अपीलांट के हक में ढाणी व बाडे के लिये निःशुल्क या कीमत लेकर अपीलांट के कब्जे वाली भूमि का नियमन/आंवटन की कार्यवाही नहीं करने में कानूनी गलती की है।

{2}(III)–मूल खसरा नम्बर 75 गैर मुमकिन मंगरा पर काफी व्यक्तियों के बाडे व ढाणी बनी हुई है जिनके हक में उपरोक्त प्रयोजन के लिये भूमि का आंवटन/नियमन किया गया है। वैसी सूरत में अपीलांट के हक में ढाणी व बाडे के लिये भूमि का आवंटन/नियमन नहीं करने में कानूनी गलती की है। तहसीलदार खींवसर का अपीलाधीन निर्णय पक्षपातनपूर्ण व मनमने तरीके से पारित किया हुआ होने के कारण गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–तहसीलदार खींवसर का निर्णय जैर अपील अपीलांट की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का नागडी द्वारा कथित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.03.24 के आधार पर पारित किया गया है। जबकि विधिनुसार उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का न तो कोई आधार है और न ही साक्ष्य में ग्राह्य है। अपीलांट कृषि कार्य करता है तथा उसकी आजीविका का साधन खेती व पशुपालन है। इसलिये उसको रहवासीय ढाणी व बाडे की आवश्यकता है। मात्र अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का पुत्र सरकारी सेवा में होने के आधार पर उसको कृषक/पशुपालक नहीं मानकार निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02/12

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्व निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)–पटवारी हल्का के उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र/गवाही भी नहीं ली गई तथा न ही अपीलांट को गवाह से जिरह का अवसर दिया गया। इस प्रकार भी उक्त निर्णय जैर अपील अवैध है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा जसवंतनगर में स्थित गै. मु. मगरा पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 61/2023 सरकार बनाम बाबूराम में निर्णय दिनांक 18.03.2024 के तहत मौजा जसंवतनगर की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.01.2024 से ज्ञात होता है कि अपीलांट ने मौजा जसवंतनगर के खसरा नम्बर 1318/75 किस्म गै. मु. मगरा पर अतिक्रमण किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर